

4192
23/3/10

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग खण्ड द्वितीय बून्दी
2-A-11, Vikas Nager, Bai Pass Road, Bundi (Raj.) 2-ए-11, विकास नगर, बाईपास रोड, बून्दी (राज.)
E-Mail-mebundi-2@dmg-raj.org फ़ैक्स एवं फ़ोन नं०-0747-2442484 Meibundi@yahoo.in

क्रमांक :- ख.अ./बून्दी-11/सी0सी0-11/एम0एल0-699/97/

दिनांक

:: कार्यालय आदेश ::

चुंकि खनन पट्टा खनिज मेसेनरी स्टोन क्षेत्र 10000 व.मी. निकट ग्राम मीणों की झोपडिया तहसील नैनवा जिला बून्दी में कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा के आदेश क्रमांक : अखअ/कोटा वृत्त/प.-429/2000/7612 दिनांक 07.08.2000 से वार्षिक स्थिर भाटक रू०-5000/- सालाना पर अवधि दि-02.11.2000 से 01.11.2020 तक श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री उत्सवलाल निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी के पक्ष में स्वीकृत किया गया था।

ओर चुंकि पट्टेधारी को कार्यालय नोटिस क्रमांक 263 दिनांक 09.01.2007 से उक्त स्वीकृत क्षेत्र के लिए वन विभाग द्वारा अनापत्ति जो उनके पत्र क्रमांक : 4667 दिनांक 14.06.2000 से जारी की गई को वन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक : एफ () सर्वे/मवअ/06/13931 दिनांक 12.12.2006 से निरस्त कर दी गई। वन विभाग द्वारा वन अनापत्ति निरस्त कर दिये जाने पर अब उक्त खनन पट्टा वन क्षेत्र में आ जाने से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना अभी तक नहीं की गई है। खनन पट्टा खण्डित करने हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा वृत्त कोटा के पत्र क्रमांक : 1257 दिनांक 27.02.2007 से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

अतः नोटिस दिनांक 09.01.2007 की पालना में खनन पट्टा क्षेत्र वन सीमा में आ जाने के कारण प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 18 (21) एवं (22) व अनुबंध की धारा 4 (21) (22) खनन पट्टा खण्डित किया जाता है। बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत की जावेगी।

खानि अभियन्ता

खण्ड द्वितीय बून्दी

क्रमांक :- ख.अ./बून्दी-11/सी0सी0-11/एम0एल0-699/97/ 510 दिनांक 23/3/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी
- (2) श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा वृत्त कोटा
- (3) अधीक्षण भू-वैज्ञानिक (रि०से०) (सह नोडल अधिकारी (वेबसाईज अपडेशन)) निदेशालय, उदयपुर
- (4) श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री उत्सवलाल निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी को दी जाकर लेख है कि क्षेत्र का कब्जा खनि कारदेशक को सम्भलावे।
- (5) श्री राजेन्द्र भट्ट, सर्वेयर को दी जाकर लेख है कि क्षेत्र का कब्जा पट्टाधारी से तुरन्त प्राप्त कर राज्य सरकार के पक्ष में लेवे।
- (6) मांग शाखा को दी जाकर लेख है कि अन्तर प्रतिभूति की मांग कायम कर वसूली की कार्यवाही की जावे।
- (7) संगणक
- (8) अधिशुल्क निर्धारण
- (9) कोशियर कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि खनन पट्टे की प्रतिभूति पेटे जमा एन.एस.सी. रू.-1500/- कोशियर पुस्तिका क्रमांक 485 दिनांक 04.11.2000 को भुजाकर राजकोष में जमा करावे।
- (10) मानचित्रकार
- (11) रक्षित पत्रावली/आनलाईन आपरेटर

खानि अभियन्ता
खण्ड द्वितीय बून्दी